राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/जांच) विभाग

क्रमांक 9(2)(4)कार्मिक/क–3/जांच/2018 जयपुर, दिनांक 12 APR 2022

परिपत्र

राज्य सेवा के अधिकारियों के निलम्बन के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 31.07.2018 एवं दिनांक 24.08.2021 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये है। जिनके अनुसार कार्मिक विभाग के साथ–साथ प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को आवश्यक परिस्थिति में राज्य सेवा के अधिकारियों को निलम्बित करने की शक्तियॉ प्रदत्त की गई है।

प्रायः यह देखा गया है कि प्रशासनिक विभागों द्वारा समय–समय पर प्रदत्त निर्देशों की लगातार अवहेलना की जा रही है, जिनमें निलम्बन पश्चात् कई माह तक पुष्टि के प्रस्ताव प्रेषित नहीं करना, निलम्बित अधिकारी का प्रकरण कार्मिक विभाग के संज्ञान में लाये बिना ही अपने स्तर पर बहाल कर देना, निलम्बन आदेश के बाद कई वर्षों तक अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव नहीं भिजवाना आदि शामिल है।

अतः उक्त स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व परिपत्र दिनांक 31.07.2018 एवं 24.08.2021 के अतिक्रमण मे निम्न निर्देश जारी किये जाते है :–

1. राज्य सेवा के अधिकारियों के निलम्बन हेतु कार्मिक विभाग के साथ–साथ आवश्यक परिस्थिति अनुसार प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव द्वारा भी निलम्बन आदेश जारी किये जा सकेंगे।
2. उक्त निलम्बन आदेश के 15 दिवस के भीतर निलम्बन की पुष्टि का प्रकरण मय अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्तावों सहित आवश्यक रूप से कार्मिक विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा। यदि किसी कारण से अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव 15 दिवस में प्रस्तुत करना संभव नहीं हो तो इसका समुचित कारण अंकित करते हुए निलम्बन की पुष्टि के प्रस्ताव आवश्यक रूप से 15 दिवस के भीतर ही प्रेषित किये जाये।
3. प्रशासनिक विभाग द्वारा निलम्बन आदेश की पुष्टि के पश्चात् 45 दिवस के भीतर अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव आवश्यक रूप से कार्मिक विभाग के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

सभी प्रशासनिक विभाग उक्त निर्देशों की पालना कठोरता से करेंगे और यदि इनकी अवहेलना की जाती है तो प्रकरण मुख्य सचिव महोदय के ध्यान में लाया जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी।

-Sd-
(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव।
5. समस्त संभागीय आयुक्त।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त जिला कलक्टर।
7. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

11/04/2022
(अनुपम कायल)
शासन उप सचिव